बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

पटना 15, दिनांक 7-1-2003.

संख्या- वन पर्या० 80/2002-08(अ)/प०व०, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 (संशोधित 2000) के नियम 2 (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा इस नियम के सफल कार्यान्वयन एवं प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन हेतु सभी आरक्षी अधीक्षक, सभी अपर समाहर्त्ता एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को उनके कार्यक्षेत्र में प्राधिकारी (xxxxxxxx (Authority) घोषित किया जाता है।

2- जिला पदाधिकारी इस नियमावली के तहत पूर्व से ही प्राधिकारी घोषित हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(पी०सी० शरण)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक वन पर्या० 80/2002-08(अ)/प०व० पटना 15, दि० 7-1-2003.

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2- अनुरोध है कि बिहार गजट के असाधारण अंक में इसे प्रकाशित कराते हुए इसकी पाँच सौ प्रतियाँ विभाग को भेजा जाय।

(पी०सी० शरण)
अशोक/7-1-03 सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक वन पर्या० 80/2002-08(अ)/प०व० पटना 15, दि० 7-1-2003.

प्रतिलिपि- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आरक्षी उप महानिरीक्षक/जिला पदाधिकारी/आरक्षी अधीक्षक/अपर समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पी०सी० शरण)
सरकार के उप सचिव।